पत्र संख्या– 58/2011.......83......./रा0

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

(उर्दू निदेशालय)

प्रेषक,

राघवेन्द्र झा, भा0प्र0से0
अपर सचिव–सह–निदेशक–
सह–प्रभारी निदेशक (उर्दू)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, सीवान, वैशाली।

पटना, दिनांक....17-3-2012

विषयः– उर्दू कर्मियों से उर्दू संबंधी कार्य नहीं लिए जाने की शिकायत के संबंध में।

प्रसंगः– माननीय स0वि0स0 श्री अख्तरूल ईमान का तारांकित प्रश्न सं0–इ–13 (इ–2), दिनांक– 05.12.2011.

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि माननीय स0वि0स0, श्री अख्तरूल ईमान ने अपने प्रासंगिक तारांकित प्रश्न के क्रम में यह लिखित शिकायत की है कि पूरे बिहार में राजभाषा के उर्दू कर्मियों से उर्दू संबंधी कार्य लिये जाने संबंधी स्पष्ट सरकारी आदेश 198/रा0, दिनांक– 29.08.2006 की खुला उल्लंघन कर उनसे अन्य कार्य लिये जा रहे है तथा उनको आवंटित कार्यप्रभार संबंधी आदेश में उर्दू कार्यों का जिक्र तक नहीं किया जाता है। माननीय विधायक ने अपने शिकायत पत्र के साथ आपके जिला अन्तर्गत कतिपय कार्यालयों के कार्यआवंटन आदेश की प्रति भी संलग्न किया है।

अतः आपके जिला से संबंधित कार्यालयों के कार्यावंटन आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसकी जॉच अपने स्तर से करते हुए तथ्यात्मक जॉच प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय, ताकि बिहार विधान सभा की आश्वासन समिति को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राघवेन्द्र झा)
अपर सचिव–सह–निदेशक–
सह–प्रभारी निदेशक (उर्दू)

ज्ञापांक–.......83......./रा0, पटना, दिनांक–17-3-2012

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ। कृपया अपने जिला अन्तर्गत समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय एंव प्रखण्ड कार्यालयों में कार्यरत उर्दू कर्मियों के कार्य आवंटनादेश की जॉच अपने स्तर से करते हुए, वांछित प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

(राघवेन्द्र झा)
अपर सचिव–सह–निदेशक–
सह–प्रभारी निदेशक (उर्दू)

E:\Ram bahadur sinh\part samikeya uni - ----27-02-2012.doc